संशोधन आदेश

संख्या- 342 / 2023 / 7223 / चार-2023

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर, 2023

विषय:- मेरी माटी मेरा देश के अन्तर्गत अमृत कलश यात्रा के जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रमों में कलाकारों के मानदेय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या-316/2023/6021/चार-2023, दिनांक 20.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-316/2023/6021/चार-2023, दिनांक 20.10.2023 के प्रस्तर-1 में उप प्रस्तर- (10) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(10) उक्त धनराशि रू0 45.54 लाख उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-316/2023/6021/चार-2023, दिनांक 20.10.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 342 /2023 / 7223 (1)/चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, लखनऊ
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/ वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in